न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 23/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरी पत्नि स्व. रामप्रताप
2. विजयसिंह पुत्र रामप्रताप
3. रोशनसिंह पुत्र रामप्रताप
4. कमली पुत्री रामप्रताप
5. गुलाब पुत्री रामप्रताप
6. बदाम पुत्री रामप्रताप
7. राजन्ती पुत्री रामप्रताप
   जाति गुर्जर निवासी मलारना तहसील लवाण

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी सं. 1 लगा.7 अनुपस्थित।

:–निर्णयः– दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और न जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुए। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मलारना तहसील लवाण के अवलेख संवत 2003–22 के अभिलिखित भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै0मु0 नली तथा खसरा नम्बर 397 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै0मु0 शमशान दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 208 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 शमशान बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 208 मि. रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा से खसरा नम्बर 789 रका 0.08 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 791 रकबा 1.50 है0 किस्म चाही–1 सिवायचक बने। आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 16.5.1989 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 789 रकबा 0.08 है0 खसरा नम्बर 790 रकबा 0.48 किस्म चाही कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता रामप्रताप लाका जाति गुर्जर निवासी मलारना के नाम किया गया। जो जरिये नामांतरकरण सं0 43 दिनांक 30.8.1989 आवंटी रामप्रताप पुत्र लाका गुर्जर के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण सं0 273 दिनांक 8.10.2001 से खातेदारी दर्ज हुई है। जमाबन्दी संवत 2067–70

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:45 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम मलारना के खाता सं. 300 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 789 रकबा 0.08 है0 खसरा नम्बर 790 रकबा 0.48 है0 किस्म चाही कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 में उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण सं0 635 दिनांक 19.11.2010 रामप्रताप पुत्र लाका के स्थान पर भंवरी धर्मपत्नि स्व0 रामप्रताप, विजयसिंह, रोशनसिंह, राजन्ती, कमली, गुलाब ,बदाम पिता रामप्रताप जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नली दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि संवत 2003–22 में ग्राम मलारना तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै0मु0 नली तथा खसरा नम्बर 397 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै0मु0 शमशान दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 208 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 शमशान बनाये गये। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 208 मि. रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा से खसरा नम्बर 789 रका 0.08 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 791 रकबा 1.50 है0 किस्म चाही–1 सिवायचक बनाये गये। पत्रावली में संलग्न आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 12.5.1989 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 789 रकबा 0.08 है0 खसरा नम्बर 790 रकबा 0.48 है0 किस्म चाही कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता रामप्रताप पुत्र लाका जाति गुर्जर निवासी मलारना के नाम किया गया। जो जरिये नामांतरकरण सं0 43 दिनांक 30.8.1989 आवंटी रामपताप पुत्र लाका गुर्जर के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण सं0 273 दिनांक 8.10.2001 से खातेदारी दर्ज हुई है। जमाबन्दी संवत 2067–70 ग्राम मलारना के खाता सं. 300 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 789 रकबा 0.08 है0 खसरा नम्बर 790 रकबा 0.48 है0 किस्म चाही कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 में उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण सं0 635 दिनांक 19.11.2010 रामप्रताप पुत्र लाका के स्थान पर भंवरी धर्मपत्नि स्व0 रामप्रताप, विजयसिंह, रोशनसिंह, राजन्ती, कमली, गुलाब ,बदाम पिता रामप्रताप जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नली दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:45 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official